न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 19/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
कुम्पाराम पुत्र मोडाराम, उम्र–52 साल, जाति–दर्जी, निवासी पायलां कलां, तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर		1.आम्बाराम पुत्र मोडाराम 2. वागाराम पुत्र जुजाराम 3. खंगाराराम पुत्र मिसराराम 4. नारणाराम पुत्र मिसराराम 5. बाबूलाल पुत्र मिसराराम 6.रेशमी पत्नी जोगाराम 7.धुड़ाराम पुत्र जोधाराम 8.कान्तिलाल पुत्र हरजीराम 9.गणपतलाल पुत्र हरजीराम 10.दिलिपभाई पुत्र हरजीराम 11.तेजस पुत्र हरजीराम, जातियान दर्जी 12.तलाराम पुत्र नीम्बाराम 13. पाचाराम पुत्र वेलाराम 14.पारसमल पुत्र वेलाराम 15. शंकराराम पुत्र वेलाराम 16. हिमताराम पुत्र वेलाराम 17. किरताराम पुत्र लिछमणाराम 18.झीणीदेवी पत्नी अजाराम 19.बीजाराम पुत्र अजाराम 19.रमेशकुमार पुत्र अजाराम, जातियान–प्रजापत,निवासी–पायलां कलां, तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 21.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 763/622 रकबा 0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1.2431 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 763/622 रकबा 0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1.2431 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टंर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 763/622 रकबा 0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1.2431 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा पायला कला

0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1.2431 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 763/622 रकबा 0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1.2431 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीक़ार किया जाकर मौजा पायला कला पटवार क्षेत्र पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 763/622 रकबा 0.6473 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 777/766 रकबा 0.1618 हैक्टेयर बीघा तथा खसरा नम्बर 778/766 रकबा 1. 2431 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी